

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

मुरारीलाल श्री 5 रिकॉर्ड नम्बर  
आज्ञा विस्तृत रूप में प्राथमिक चक्र

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

155/8020

प्राथमिक चक्र

16/12/21

वकील वर एचोरी मेव न ठाणु  
आधिकारिक कार्य स्वमित रखा गया  
गत आदेश की पालन के दिनांक  
21/12/21 को पेश हो। 21/12/21

21/12/21

पञ्जावली पेश हुई। वकील प्राथमिक  
चक्र। वकील वर/ आधी न ठाणु  
वाद में प्राथमिक काठक विद्वा  
किये जाने दावा का पेश किया गया।  
जे बाद बहाल प्रवृत्त रही रूप किया  
गया मूल वाद विद्वा किया जा  
रुका है अतः प्राथमिक चक्र 15  
प्रभावहीन होने से रखा गया  
किया जाता है। पञ्जावली जिला  
थानु केके रूप किया दावा रहे।  
नम्बर से काम केके दावा प्रकल  
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

*Handwritten signature/initials*